:मंत्री परिषद हेतु संक्षेपिका:

विषय:- '' भावांतर भुगतान योजना'' (Price Deficit Financing Scheme) ।

---000---

प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने के लिये राज्य शासन के द्वारा पायलट आधार पर खरीफ-2017 के लिए समर्थन मूल्य तथा किसान के द्वारा अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण में विक्रय किये जाने पर राज्य शासन द्वारा निहित प्रक्रिया अपनाकर **घोषित मॉडल विक्रय दर** के अंतर की राशि को **'' भावांतर भुगतान योजना''** अन्तर्गत किसान को प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया जावेगा। खरीफ 2017 की योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा उपरान्त रबी 2017-18 तथा तदुपरांत के फसल चक्र के सम्बंध में योजना की निरंतरता पर निर्णय लिया जावेगा।

योजना का संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना:

1) यह योजना **''भावांतर भुगतान योजना''(price Deficit Financing Scheme)** कहलाएगी । उक्त योजना खरीफ 2017 से लागू की जावेगी। उक्त योजना अंतर्गत 1 सितम्बर, 2017 से 30 सितम्बर, 2017 तक किसानों का पंजीयन किया जावेगा ।

2) योजना का लाभ, केवल मध्यप्रदेश के किसान को उसके द्वारा उत्पादित कृषि उपज को, प्रदेश की अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण में विक्रय करने तथा राज्य शासन के द्वारा घोषित की गई अवधि में खरीफ 2017 की फसलों के लिये उत्पादकता की निश्चित सीमा तक विक्रय की गई फसल पर देय होगा।

3) **'' भावांतर भुगतान योजना''** के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु किसान द्वारा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियॉ (जो, गेहूँ, तथा धान का ई-उपार्जन करती हैं) में 1 सितम्बर, 2017 से 30 सितम्बर, 2017 तक भावान्तर भुगतान योजना हेतु तैयार किए गए पोर्टल पर पंजीयन किया जाना अनिवार्य होगा।

4) उक्त योजना निम्न फसलों पर लागू होगी:-

(4.1)-

क्र.	फसल	भावातंर भुगतान योजना के लिए विक्रय की अवधि	माड्ल विक्रय दर गणना हेतु दो अन्य राज्य
	तिलहन फसलें		
1.	सोयाबीन	16 अक्टूबर से 15 दिसम्बर तक	महाराष्ट्र, राजस्थान
2.	मूंगफली	16 अक्टूबर से 15 दिसम्बर तक	गुजरात, राजस्थान
3.	तिल	16 अक्टूबर से 15 दिसम्बर तक	उड़ीसा, छत्तीसगढ़
4.	रामतिल	16 अक्टूबर से 15 दिसम्बर तक	पश्चिम बंगाल, राजस्थान
5.	कुसुम	16 अक्टूबर से 15 दिसम्बर तक	कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश

	खाद्यान्न फसल		
6.	मक्का	16 अक्टूबर से 15 दिसम्बर तक	कर्नाटक, महाराष्ट्र
	दलहनी फसलें		
7.	मूंग	16 अक्टूबर से 15 दिसम्बर तक	राजस्थान, महाराष्ट्र
8.	उडद	16 अक्टूबर से 15 दिसम्बर तक	राजस्थान, उत्तरप्रदेश
9.	तुअर	1 फरवरी से 30 अप्रैल तक	महाराष्ट्र, गुजरात

(4.2)- उक्त समस्त फसलों का पंजीयन 1 सितम्बर, 2017 से 30 सितम्बर, 2017 तक किसान द्वारा कराया जाना होगा। प्रत्येक किसान को पोर्टल पर जानकारी इन्द्राज के समय पंजीयन क्रमांक उपलब्ध कराया जावेगा।

5) **''भावांतर भुगतान योजना''** के लिये मॉडल विक्रय दर की गणना कण्डिका-4 में वर्णित फसलों के लिए उल्लेखित अवधि के लिए उक्त अवधि समाप्ति उपरांत निम्नानुसार की जावेगी:

(5.1) मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में संदर्भित कृषि जिन्स का संदर्भित अवधि का **''मॉडल भाव,**

(5.2) राज्य शासन के द्वारा चिन्हित दो अन्य उपरोक्त नियत राज्यों का संदर्भित कृषि जिन्स का **''मॉडल भाव,**

(5.3) उपरोक्तानुसार प्राप्त मध्य प्रदेश एवं अन्य दो राज्यों के संदर्भित कृषि जिन्स की मॉडल विक्रय दरों का औसत निकाला जावेगा। इसे किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग म.प्र. शासन की वेबसाइट पर अपलोड कर प्रदर्शित किया जावेगा।

नोट: दैनिक आवक एवम् भाव की जानकारी भारत शासन के वेबर्पोटल ((http://agmarknet.gov.in)

6) **योजना हेतु अहर्ताएं:**

(6.1)- मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने के साथ संबंधित लाभार्थी का पंजीयन उपरोक्त अंकित पोर्टल पर दर्ज होना अनिवार्य है। जिन कृषकों का नाम एवं जानकारी उक्त पोर्टल पर उपरांकित अवधि में दर्ज नहीं होगी उन्हे योजना में लाभ प्राप्त नही होगा। पोर्टल पर पंजीयन के समय किसान का अपना आधार कार्ड क्रमांक, बैक खाता क्रमांक तथा मोबाइल नम्बर दिया जाना होगा।

(6.2)- कृषि उत्पाद प्रदेश में ही उत्पादित होना चाहिए।

(6.3)- योजना का लाभ अधिसूचित मण्डी परिसर में विक्रय पर ही देय होगा।

7) राज्य शासन के द्वारा योजना का लाभ प्रदान करने हेतु प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के प्रांगणों को निर्धारित किया जायेगा एवं इसकी जानकारी सर्वसाधारण को प्रदान की जायेगी।

8) निर्धारित कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण में मंडी समिति के द्वारा उप विधियों के प्रावधान के अनुसार विधिवत् विक्रय संपन्न कराया जावेगा। किसान को एवं मंडी समिति को इस संदर्भ में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिचित करना होगी:

(8.1) कृषक को मण्डी समिति को 1 सितम्बर, 2017 से 30 सितम्बर, 2017 तक पंजीयन कराने पर प्राप्त पंजीयन क्रमांक विक्रय के समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(8.2) कृषि उपज मंडी समिति के नामांकित कर्मचारी / अधिकारी के द्वारा नीलामी / विक्रय उपरान्त जारी किये जाने वाले अनुबंध पर्ची, तौल पर्ची एवं भुगतान पत्रक में किसान कानाम, वल्द, पता, विक्रय की गयी मात्रा एवं विक्रय दर आदि का स्पष्ट रूप से लेखन कर किसान का पंजीयन क्रमांक इन्द्राज किया जायेगा। जिन किसानों के द्वारा पंजीयन क्रमांक दिया जावेगा, उनकी जानकारी पोर्टल पर मण्डी समिति द्वारा दर्ज की जावेगी।

(8.3) मंडी सचिव, प्रत्येक दिवस, मंडी प्रांगण में सम्पन्न नीलामी का कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत क़षि जिन्स वार, के विक्रय की दैनिक आवक एवं भाव कीजानकारी केन्द्र शासन के। Agmarknet Portal पर साँय 6 बजे तक अपलोड करेंगे।

(8.4) कृषि उपज मंडी समिति के द्वारा दैनिक, जानकारी का संग्रहण करते हुए पंजीयन के ही पोर्टल में उपलब्ध कॉलम में अनुबंध पर्ची, तौल पर्ची एवं भुगतान पत्रक की सम्बंधित जानकारी अपलोड की जावेगी।

9) भावान्तर भुगतान योजना की अवधि समाप्त होने पर आगे अंकित प्रक्रिया अपनाकर किसान के खाते में अंतरित किए जाने का सम्बंधित संस्था म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ/म0प्र0 नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा भुगतान किया जावेगा। योजना हेतु जिलावार एजेन्सी परिशिष्ट- एक अनुसार नियत रहेगी।

(9.1)- योजनान्तर्गत देय राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगीः-

अ- यदि किसान द्वारा मण्डी समिति परिसर में विक्रय की गई अधिसूचित फसल की विक्रय दर न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक या उसके बराबर हुई तो कोई राशि किसान के खाते मे अंतरित नहीं की जावेगी।

ब- यदि किसान द्वारा मण्डी समिति परिसर में विक्रय की गई अधिसूचित फसल की विक्रय दर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम किन्तु राज्य शासन द्वारा घोषित मॉडल विक्रय दर से अधिक हुई तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा किसान द्वारा विक्रय मूल्य के अंतर की राशि किसान के खाते में अंतरित की जावेगी।

स- यदि किसान द्वारा मण्डी समिति परिसर में विक्रय की गई अधिसूचित फसल की विक्रय दर राज्य शासन द्वारा घोषित मा ॅडल विक्रय दर से कम हुई तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा मॉडल विक्रय दर के अंतर की राशि किसान के खाते में अंतरित की जावेगी।

(9.2)- उक्तानुसार अंतर की राशि किसान द्वारा मण्डी के परिसर में विक्रय मात्रा जो बोए गए रकबे पर जिले की औसत उत्पादकता के आधार पर होने वाले उत्पादन की सीमा तक

की मात्रा पर देय होगा। जिले की औसत उत्पादकता प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लागू मापदण्ड के आधार पर गणना की जावेगी।

10) किसान Distress Sale नही करें तथा उचित समय पर फसले बेचने कों प्रोत्साहित करनें के लिए योजनान्तर्गत अनुज्ञाप्तिधारी गोदाम (Licensed Godown) में कृषि उपज रखने के लिए जिन किसानो ने पंजीयन कराया है, को अनुदान प्रदान किया जावेगा। प्रत्येक अधिसूचित फसल पर कण्डिका-4 में अंकित भावान्तर भुगतान योजना की अवधि के उपरांत सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, कुसुम, मक्का, मूंग तथा उड़द के लिए 1 जनवरी , 2018 से 30 अप्रैल, 2018 तक तथा अरहर (तुअर) के लिए 1 मई से 30 अगस्त, 2018 तक चार माह के लिए किसान द्वारा अनुज्ञप्तिधारी गोदाम में अपने कृषि उत्पाद रखे जाने पर रूपये 7 प्रति क्विंटल प्रति माह अथवा जो वास्तविक भुगतान किया गया है, दोनों में से जो भी कम हो, की दर से ऐसे किसानों के खाते में राशि जमा कराई जावेगी। उक्त राशि तभी देय होगी जब उक्त अधिसूचित फसल विक्रय के समय भुगतान पत्रक में दरें न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम रहती है । भण्डारण के चार माह उपरांत अथवा भण्डारण के चार माह के मध्य में किसान द्वारा भण्डारित कृषि उत्पाद न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर बेचे जाने पर कण्डिका-13 में वर्णित राशि के अलावा और कोई राशि देय नहीं होगी। पंजीकृत किसान जो इस प्रावधान का लाभ लेना चाहतें वे WHR की प्रति के साथ संलग्न कर जिलावार परिशिष्ट-एक अनुसार नियत एजेन्सी के जिला कार्यालय में इसी अवधि में आवेदन किया जाना होगा । आवेदन में किसान को पंजीयन क्रमांक लिखना क्रमांक लिखना आवश्यक होगा।

मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन संघ एवं प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जावेगा। चार माह के भण्डारण की अवधि की समाप्ति कृषक से बिक्री का प्रमाण प्राप्त किया जाकर, विक्रय दर न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक नहीं जाने की स्थिति में उपरोक्त दर पर भुगतान उसके बैक खाते में किया जावेगा।

11) भावांतर भुगतान योजना के क्रियान्वयन के लिए म.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम तथ मार्कफेड को आवश्यकतानुसार बैंक ग्यारन्टी उपलब्ध कराई जावेगी तथा योजना में व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति की जावेगी। योजना के नियमों/प्रक्रियानुसार किसान के खाते में एजेन्सी द्वारा डी.बी.टी (DBT) के माध्यम से जमा कराई जावेगी तथा नागरिक आपूर्ति निगम/मार्कफेड का यह दायित्व होगा कि वह किसान को भुगतान की गई राशि की जानकारी किसान के मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस. के माध्यम से आवश्यक रूप से प्रदान करें।

12) राशि के वितरण उपरांत, भुगतान की पूर्ण जानकारी प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन / मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन संघ द्वारा संधारित की जावेगी तथा इसका प्रत्येक वर्ष आवश्यक रूप से आडिट कराया जावेगा।

13) राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शासकीय/अर्धशासकीय संस्था का चयन कर उसके माध्यम से योजना का Concurrent Evaluation कराया जावेगा।

14) जिला कलेक्टर द्वारा योजना की सतत् मॉनिटरिंग करने के लिए एवं कन्ट्रोल रूम जिला मुख्यालय पर स्थापित किया जावेगा जो कि प्रातः 9.00 बजे से रात्रि 6.00 बजे तक कार्य करेगा। जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम द्वारा योजना से संबंधित समस्याओं को नोट करने के साथ ही इसके निदान के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। किसानों को योजना के अन्तर्गत भुगतान में आने वाली कठिनाईयों पर विशेष रूप से त्वरित निराकरण/समाधान कराए जाने की जिलास्तर पर व्यवस्था की जावेगी। कन्ट्रोल रूम के संबंध में जिला स्तर से प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विस्तार से प्रचार-प्रसार कराया जावेगा।

15) राज्य स्तर से योजना की जानकारी कृषकों को प्रदान किये जाने हेतु विस्तृत विज्ञापन तैयार कर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया में प्रसारित किये जायेंगे। यह कार्य संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

16) योजना के क्रियान्वयन हेतु माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में गठित ''कृषि केबिनेट'' के द्वारा समस्त नीतिगत् निर्णय लिये जावेंगे तथा योजना की सतत समीक्षा की जावेगी।

17) योजना के क्रियान्वयन हेतु ''राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति'' का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया जावेगा।

(1) मुख्य सचिव - अध्यक्ष
(2) कृषि उत्पादन आयुक्त - उपाध्यक्ष
(3) अतिरिक्ति मुख्य सचिव, वित्त विभाग - सदस्य
(4) प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग - सदस्य
(5) प्रमुख सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग - सदस्य
(6) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग - सदस्य
(7) प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग - सदस्य
(8) प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग - सदस्य
(9) कुलपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर - सदस्य
(10) कुलपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर - सदस्य
(11) प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड - सदस्य सचिव
(12) संचालक,उद्यानिकी - सदस्य
(13) प्रबंध संचालक, - सदस्य

म0प्र0 नागरिक आपूर्ति निगम

(14) प्रबंध संचालक, मार्कफेड, भोपाल - सदस्य

(15) प्रबंध संचालक, राज्य भण्डार एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन, भोपाल - सदस्य

(16) संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास - सदस्य

राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति के द्वारा योजना के प्रदेश में क्रियान्वयन, प्रगति तथा दैनिक क्रियान्वयन में आने वाले गतिरोधों की समीक्षा की जायेगी तथा योजना के सफलता पूर्वक क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्णय लिये जायेंगे। नीतिगत् विषयों पर निर्णय लिये जाने हेतु समिति के द्वारा अनुशंसित एजेण्डा को कृषि केबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

18) जिला स्तर पर निम्नानुसार जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया जाता हैः-

(1)	जिला कलेक्टर	-	अध्यक्ष
(2)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	-	सदस्य
(3)	उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास	-	सदस्य
(4)	उपायुक्त, सहकारिता	-	सदस्य
(5)	जिला खाद्य अधिकारी	-	सदस्य सचिव
(6)	उप/सहायक संचालक, उद्यानिकी	-	सदस्य
(7)	लीड बैंक अधिकारी	-	सदस्य
(8)	प्रभारी वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केन्द्र	-	सदस्य
(9)	जिला मुख्यालय पर स्थित कृषि उपज मंडी समिति का सचिव	-	सदस्य

जिला कलेक्टर के द्वारा जिले के समस्त माननीय विधायक जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित होंगे। माननीय प्रभारी मंत्रीजी द्वारा अनुमोदित चार किसान इस समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित होंगे। समिति के द्वारा जिले में योजना का सुचारू संचालन, प्रगति, किसानों को भुगतान, योजना से संबंधित विवाद एवं इनका निराकरण, राज्य शासन को योजना से संबंधित बिन्दुओं पर राज्य स्तरीय समिति हेतु अनुशंसाएं इत्यादि के साथ-साथ समय-समय पर राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में कार्यवाही की जायेगी।

19) खरीफ 2017 में उक्त भावान्तर भुगतान योजना के पायलेट की समीक्षा कर रबी 2017-18 तथा तदुपरान्त फसलों के लिए योजना मे परिमार्जन कर प्रथक से शासन आदेश जारी किया जावेगा।

संलग्नः परिशिष्ट–1

प्रमुख सचिव
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मध्यप्रदेश शासन भोपाल

:

परिशिष्ट–1

मध्यप्रदेश शासन के निर्णयानुसार भावांतर हेतु चयनित जिलों की सूची

क्रं.	म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.	क्र.	म.प्र.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन
1	भिण्ड	1	ग्वालियर
2	मुरैना	2	गुना
3	श्योपुरकलॉ	3	अशोकनगर
4	शिवपुरी	4	इन्दौर
5	दतिया	5	धार
6.	झाबुआ	6	बैतूल
7	अलीराजपुर	7	विदिशा
8	खरगौन	8	होशंगाबाद
9	खण्डवा	9	हरदा
10.	बुरहानपुर	10	बालाघाट
11	बडवानी	11	जबलपुर
12	उज्जैन	12	मण्डला
13	मंदसौर	13	छिन्दवाडा
14	नीमच	14	सिवनी
15	रतलाम	15	सागर
16	देवास	16	दमोह
17	शाजापुर	17	टीकमगढ
18	आगर मालवा	18	छतरपुर
19	भोपाल	19	पन्ना
20	सीहोर	20	सतना
21	रायसेन	21	सीधी
22	राजगढ	22	शहडोल
23	कटनी	23	डिंडोरी
24	नरसिंहपुर	24	अनुपपुर
25	रीवा	25	सिंगरोली
		26	उमरिया